14/6/22 पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी स्वयं उपस्थ
तहसीलदार लालसोट से रिपोर्ट प्राप्त हुई।
शामिल मिसल की गई रिपोर्ट प्राप्त होने
पर प्रार्थी के प्रार्थना पत्र पर उपलब्ध
दस्तावेजात / रिपोर्ट तहसीलदार लालसोट
की रिपोर्ट का अवलोकन किया स्वयं प्रार्थी
को सुना गया। जिससे प्रार्थी का प्रार्थना
पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है। अतः
प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार
लालसोट को आदेश किये जाते है कि वो
कालम गिरदावरी की। पटवारी [illegible] की टीम
गठित कर [illegible] कर [illegible]
करावें।

उपखण्ड अधिकारी
लालसोट (राज.)

बाबूलाल। सरकार

सम्बन्धी नियमानुसार राजकीय शुल्क प्रार्थी से प्राप्त करे। पत्रावली बंद फैसला होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय सुनाया गया। निर्णय पृथक से लिखाया जाकर शामिल है। इस आदेश की तहसीलदार पटवारी हल्का को तहरीर जावे।

उपखण्ड अधिकारी
[illegible] जिला टोंक (राज०)

न्यायालय : उपखण्ड अधिकारी, लालसोट जिला दौसा (राज0)

रेवेन्यु प्रकरण संख्या :–19/22

रज्जू दिनांक 19–05–2022

पीठासीन अधिकारी

श्री मोहरसिंह मीना (आर.ए.एस.)

1. बाबूलाल पुत्र रामनिवास
2. पूनम देवी पत्नी राधेश्याम
3. प्रेमदेवी पत्नी हीरालाल
4. सुशीला पत्नी रामचरण
5. सन्तोषी देवी पत्नी श्रीराम
6. भौरी पुत्र स्व0. कल्याण

जाति पांचाल (लुहार) निवासी ग्राम अजबपुरा तहसील लालसोट जिला दौसा राज0

(प्रार्थीगण)

बनाम्

1. राजस्थान सरकार द्वारा तहसीलदार महोदय तहसील लालसोट जिला दौसा

(प्रतिवादी)

प्रार्थना पत्र वास्ते करवाये जाने सीमाज्ञान पत्थरगढी

निर्णय

दिनांक : 14-6-22

प्रार्थना पत्र के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण की आराजी खसरा नं0 292/232 रकबा 05 बीघा, खसरा नं0 293/232 रकबा 01 बीघा 10 बिस्वा कुल किता 2 कुल रकबा 06 बीघा 10 बिस्वा भूमि वाकै ग्राम अजबपुरा पटवार हल्का चौण्डियावास तहसील लालसोट जिला दौसा की कृषि भूमि प्रार्थगण की तनहा कब्जे काश्त की खातेदारी की कृषि भूमि है। जिस पर प्रार्थीगण अपने पुर्वजो के समय से काबिज होकर लगातार काश्त कर लाभान्वित होते आ रहे है। प्रार्थीगण की उक्त भूमि खसरा नं0 292/232 रकबा 05 बीघा, खसरा नं0 293/232 रकबा 01 बीघा 10 बिस्वा कुल किता 2 कुल रकबा 06 बीघा 10 बिस्वा भूमि वाकै ग्राम अजबपुरा पटवार हल्का चौण्डियावास के पडौसी खातेदारान मिट्टी की डोल को खुर्दबुर्द कर दिया तथा प्रार्थीगण की खातेदारी कृषि भूमि में जबरन प्रवेश कर प्रार्थीगण को हैरान व परेशान किया जा रहा है जिसका पडौसी खातेदारान को किसी प्रकार कोई हक अधिकार वास्ता नही है। फिर भी पडौसी खातेदारान द्वारा प्रार्थीगण को हैरान परेशान करते रहते है।

उपखण्ड अधिका[री]
[ला]लसोट जिला दौसा (रा[ज0])

प्रार्थीगण की उक्त आराजी का पूर्व में सीमाज्ञान किया जा चुका है किन्तु पडौसी खातेदारान द्वारा प्रार्थीगण को हैरान परेशान करने की गर्ज से प्रार्थीगण की भूमि के लगी मिट्टी की डोल को फैला देते है जिससे मौके पर शान्ति भंग होने का खतरा बना हुआ है। इसलिए प्रार्थीगण की भूमि का सीमाज्ञान करवाया जाना आवश्यक है। प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र मंजूर फरमाया जाकर खसरा नं0 292/232 रकबा 05 बीघा, खसरा नं0 293/232 रकबा 01 बीघा 10 बिस्वा कुल किता 2 कुल रकबा 06 बीघा 10 बिस्वा भूमि वाकै ग्राम अजबपुरा पटवार हल्का चौण्डियावास तहसील लालसोट जिला दौसा में स्थित भूमि का मुताबिक सीमाज्ञान मौके पर जरिये पुलिस इमदाद पत्थरगढी कायम करवाई जावें।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर्ड करवाया जाकर व तलबी अप्रार्थी जारी की गई। अप्रार्थी से पत्थरगढी बाबत रिपोर्ट ली गई । वकील प्रार्थी को सुना गया प्रार्थना पत्र पत्थरगढी एवं तहसीलदार लालसोट की रिपोर्ट का भी अवलोकन किया तहसील लालसोट ने अपनी रिपोर्ट मे विवादित आराजी खसरा नं0 292/232 रकबा 05 बीघा, खसरा नं0 293/232 रकबा 01 बीघा 10 बिस्वा कुल किता 2 कुल रकबा 06 बीघा 10 बिस्वा भूमि वाकै ग्राम अजबपुरा पटवार हल्का चौण्डियावास तहसील लालसोट की भूमि वर्तमान मे मौके पर खाली होना अंकित किया जिससे वकील प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पत्थरगढी स्वीकार किये जाने योग्य है।

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र पत्थरगढी स्वीकार किया जाकर तहसीलदार लालसोट को आदेश दिये जाते है कि दो कुशल गिरदावर/पटवारीयान की टीम गठित कर आराजी खसरा नं0 292/232 रकबा 05 बीघा, खसरा नं0 293/232 रकबा 01 बीघा 10 बिस्वा कुल किता 2 कुल रकबा 06 बीघा 10 बिस्वा भूमि वाकै ग्राम अजबपुरा पटवार हल्का चौण्डियावास तहसील लालसोट वाली भूमि का सीमाज्ञान कर पत्थरगढी कायम करावे तथा आवश्यकता पडने पर पुलिस इमदाद प्राप्त करें साथ ही नियमानुसार राजकीय शुल्क प्रार्थीगण से प्राप्त करें। इस आशय की तहसीलदार लालसोट को तहरीर जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 14-6-22 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दप्तर हो।

(मोहरसिंह मीना)
उपखण्ड अधिकारी लालसोट

उपखण्ड अधिकारी
लालसोट जिला दौसा (राज०)